न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 939–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 30–12–13 पारित कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 09/09–10 निगरानी.

1– अमित जैन पुत्र प्रकाश चन्द्र जैन
2– अर्पण जैन पुत्र प्रकाश चन्द्र जैन
3– शिखा जैन पुत्री प्रकाश चन्द्र जैन ——— आवेदकगण

विरूध्द

1– गणेशराम रघुवंशी पुत्र मानसिंह
नि0 ब्लॉक कॉलोनी, आरौन
2– शिवदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद भार्गव
3– रघुवीरदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद भार्गव
4– गोबिन्दप्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद भार्गव
5– राकेश पुत्र बद्रीप्रसाद भार्गव
क0 2 से 5 नि0 ग्राम आरौन, तह0 आरौन,
जिला गुना,म0प्र0 ——— अनावेदकगण

श्री रामगोपाल माडिल, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक – अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला गुना के निगरानी प्रकरण कमांक 09/09–10 में पारित आदेश दिनांक 30–12–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि धमेन्द्र पुत्र गोबिन्दप्रसाद भार्गव ने व्यवहार न्यायालय आरौन के प्र0क0 39/ए–2000 निर्णय दिनांक 21–8–02 एवं अपील में जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 4–2–05 के आधार पर विक्रयपत्र दिनांक 20–12–99 विक्रेता श्रीमती सरोज पत्नी प्रकाशचन्द एवं श्रीमती सुनीता पत्नी नरेन्द्र को

प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होने से क्रेता सुनीताबाई एवं सरोजबाई के नामान्तरण को निरस्त करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 07–03–09 व्दारा व्यवहार न्यायालय व्दारा विक्रयपत्र को शून्य घोषित किये जाने से प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र0 1120/1 रकबा 0.953 तथा 1120/2 रकबा 0.953 पर विक्रेतागण सरोजबाई सुनीताबाई के स्थान पर मूल भूमिस्वामी शिवदयाल रघुवीरदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद का नाम राजस्व अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये।

3/ उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर गणेशराम रघुवंशी व्दारा निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 30–12–13 में यह निष्कर्ष निकाला है कि मान. जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायालय ने संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत अन्तरण के पूर्व कलेक्टर की अनुमति नहीं लिये जाने से अन्तरण को शून्य माना है। विक्रेता व्दारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि का विक्रयपत्र संपादित किया है, इसलिये अनावेदकों के पूर्वजों को आवंटित पट्टा में से विक्रेता व्दारा विक्रय की गयी भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि विक्रेतागण शिवदयाल एवं रघुवर दयाल एवं उनके पूर्वजों के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का कभी कोई पट्टा शासन व्दारा नहीं दिया गया। प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की मॉ स्व. सरोज जैन एवं चाची श्रीमती सुनीता जैन ने रघुवीर दयाल व शिवदयाल से विधिवत क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि भू–राजस्व संहिता 1959 लागू होने के समय एवं उसके बाद कभी भी शासकीय नहीं रही। उनका तर्क है कि कलेक्टर के समक्ष आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर दिया गया। आवेदकगण व्दारा रजिस्टर खाते जात जगाबन्दी संबंत 2014 सन 1957–58 में अनुक्रम खाता क्रमांक 485 पर सर्वे नम्बर 1120 के रकबा सवा 14 बीघा में बद्रीप्रसाद पुत्र रामगोपाल का नाम कृषक के कॉलम

नं0 2 में दर्ज है तथा संवत 2026—2030 के खसरे में गोबिन्द प्रसाद बगैरह भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी दर्ज है। उक्त दोनों दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगण व्दारा खसरा संवत 2031—2034 की प्रमाणित प्रतिलिपि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सर्वे नं0 1120 के रकबा सवा 14 बीघा पर गोबिन्दप्रसाद बगैरह भूमिस्वामी दर्ज हैं। उनका तर्क है कि व्यवहार न्यायालय व्दारा श्रीमती सरोज जैन का दावा सिध्द नहीं होने से निरस्त किया है। उनका तर्क है कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय एवं जिला न्यायाधीश के अपील में पारित निर्णय के विरूध्द मान. उच्च न्यायालय में व्दितीय अपील 172/2014 प्रस्तुत की गयी है जिसमें उच्च न्यायालय व्दारा दिनांक 19—06—14 को रेस्पोन्ट्स को उपस्थित होने व जबाव प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 151 सी पी सी व आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत निगरानी आवेदन में संशोधन की स्वीकृति हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर करने का निवेदन किया गया ।

6/ कलेक्टर के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष गणेशराम रघुवंशी व्दारा निगरानी प्रस्तुत की गयी, किन्तु आवेदकगण को निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया। कलेक्टर व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की मानते हुए संहिता की धारा 165(7—ख) का उल्लंघन होने से शासकीय घोषित करने के आदेश दिये हैं। आवेदकगण व्दारा इस न्यायालय में रजिस्टर खाते जात जमाबन्दी संबंत 2014 सन 1957—58, खसरे संवत 2026—2030, 2031—2034, 2035—2039, 2040—2044, 2045—2049, 2050—2054 एवं 2055—2059 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें प्रश्नाधीन भूमि खसरे में गोबिन्द प्रसाद बगैरह भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। संहिता की धारा 165(7—ख) के प्रावधान भू—राजस्व संहिता प्रभावशील होने पर दिये गये पट्टे की भूमि पर ही लागू होते हैं। प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण व्दारा दस्तावेजी साक्ष्य से भू—राजस्व संहिता 1959

प्रभावशील होने के पूर्व से भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज होना प्रमाणित किया गया है, इस कारण कलेक्टर व्दारा संहिता की धारा 165(7–ख) का उल्लंघन मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में त्रुटि की गयी हैं। आवेदकगण व्दारा सिविल न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश गुना के निर्णय के विरूध्द मान. उच्च न्यायालय में व्दितीय अपील प्रस्तुत करने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपील एवं 'मेमोरन्डम आफ प्रोसेज' की फोटो प्रतियॉ शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। ऐसी दशा में मान. उच्च न्यायालय में व्दितीय अपील विचाराधीन होने से सिविल न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश गुना के निर्णय अंतिम होना नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में तहसीलदार का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर का आदेश दिनांक 30–12–13 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 07–03–09 निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप राजस्व अभिलेख नामान्तरण पंजी क0 76 के अनुसार यथावत रखे जाये ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,